न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 154/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. भोपालराम पुत्र आसूराम जाति राईका निवासी झूपेलाव तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. महेन्द्र पुत्र श्रीराम देवासी 2. भंवरलाल पुत्र किशनाराम जातिगण राईका निवासीगण झूपेलाव तह0 सोजत जिला पाली राज0। 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 31/12/2025

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम झुपेलाव तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 348 रकबा 2.24 हैक्टर बिछुडी बेवा शिवनाथ, भुण्डाराम पुत्र शिवनाथ 2/3 हिस्सा, भंवरलाल पुत्र किशनाराम 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि स्थित थी, जिसके बाद धोखे से किये गये बंटवाडा एवं रेकर्ड में गलत हिस्सा दर्ज होने से आगामी जमाबंदीयों में खसरा नंबर 1196/348 रकबा 1.1200 हैक्टर वादी भोपालराम का 1/2 हिस्सा एवं खसरा नंबर 1197/348 रकबा 1.1200 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 महेन्द्र का 1/2 हिस्सा किस्म बारानी अवल का दर्ज हुआ है, जिसे आगे वाद में वादस्थ कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त कृषि भूमि पूर्व में शिवनाथ पुत्र लच्छा कौम राईका के नाम से दर्ज थी, जिसका सजरा इस प्रकार है कि बिछुडी (पत्नी) 1/3 हिस्सा, भुण्डाराम (पुत्र) 1/3 हिस्सा, किशना (पुत्र फौत) 1/3 हिस्सा, भंवरलाल पुत्र किशना पौत्र शिवनाथ हैं। वादी ने दिनांक 16.06.1997 को ग्राम झुपेलाव के वर्तमान खसरा नंबर 348 रकबा 2.2400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि खातेदार भुण्डाराम पुत्र शिवनाथ, बिछुडी बेवा शिवनाथ का 2/3 हिस्सा की कृषि भूमि रूपये 37,000/– रूपये में खरीद की थी। वक्त खरीद से 2/3 हिस्सा रकबा 1.4933 हैक्टर की कृषि भूमि पर वादी भोपालराम काबिज काश्तकार है तथा 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 भंवरलाल काबिज काश्त रहा है। मगर तत्कालीन पटवारी हल्का झुपेलाव ने उक्त बेचान रजिस्ट्री दिनांक 16.06.1997 के पंजियन दस्तावेज अनुसार पक्षकारान का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया। तत्पश्चात पटवारी हल्का ने आगे की जमाबंदीयों में गलत व मिथ्या तरीको से वादी भोपालराम का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 भंवरलाल का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल ने अपना वादस्थ कृषि भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र को कर दिया तथा महेन्द्र ने उक्त गलत हिस्सा दर्ज होने की जानकारी होते हुए वादी के साथ धोखाधडी कर वादी को अंधेरे में

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

रखकर उसके अनपढ होने का फायदा उठाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 में कैम्प झुपेलाव में दिनांक 12.07.2023 को वादी का अंगुष्ठ निशान लगवाकर वादस्थ भूमि का बंटवाडा करवा दिया। जिस बंटवाडे के बाद उक्त मूल खसरा नंबर 348 का खसरा नंबर 1196/348 वादी भोपालराम का 1/2 हिस्सा एवं खसरा नंबर 1197/348 प्रतिवादी संख्या 01 महेन्द्र का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। राजस्व रेकर्ड में उक्त गलत हिस्सा दर्ज होने की जानकारी वादी को बैंक से के.वाई.सी. बनाने के लिये राजस्व रेकर्ड रेकर्ड की आवश्यकता हुई, तब पटवारी हल्का झुपेलाव से दिनांक 08.07.2024 को सर्वप्रथम हुई। तब वादी ने जिला कलेक्टर भू.अ. पाली से दिनांक 10.07.2024 को एवं तहसील से दिनांक 23.07.2024 को राजस्व रेकर्ड की नकले मिलने पर सर्वप्रथम गलत हिस्सा दर्ज होने की जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के रेकर्ड में पटवारी हल्का झुपेलाव ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से मिलावट कर वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। इसलिये यह वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करने हेतु यह वाद धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम एवं वादी का राजस्व भूमि में सही हिस्सा 2/3 दर्ज कराने की घोषणा करवाने के लिये धारा 88 काश्तकारी अधिनियम के तहत यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश है। अतः अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद प्रस्तुत कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की फरमायी जावे कि बेचान पंजियन दिनांक 16.06.1997 के अनुसार घोषित किया जावे कि सरहद मौजा ग्राम झुपेलाव पटवार हल्का झुपेलाव तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खसरा नंबर 1196/348 रकबा 1.1200 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1197/348 रकबा 1.1200 हैक्टर के स्थान पर खसरा नंबर 1196/348 में वादी भोपालराम का 2/3 हिस्सा रकबा 1.4933 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1197/348 में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र का 1/3 हिस्सा रकबा 0.7467 हैक्टर का शुद्धि करने की घोषणा की जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादीं में वादी भोपालराम के बयान (पी0डब्ल्यू–1) कलमबद्ध करवाये तथा दस्तावेजात प्रदर्शित करवायें तथा अन्य स्वतंत्र गवाह योगेन्द्र सिंह, सरपंच ग्रा0पं0 झूपेलाव के बयान (पी0डब्ल्यू–2) कलमबद्ध करवाये गये। वादस्थ भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2048–51 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–1 है, नामा0 सं0 333 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–2 हैं। बेचान रजिस्ट्री की फोटो प्रति, प्रदर्श–3ए हैं। जमाबंदी सम्वत् 2056–59 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–4 है, जमाबंदी सम्वत् 2060–63 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–5 है, प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 में पेश बंटवाड़ा की ई–हस्ताक्षरित प्रति, प्रदर्श–6 हैं। जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की ई–हस्ताक्षरित प्रति, प्रदर्श–7 है, जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की ई–हस्ताक्षरित प्रति, प्रदर्श–8 हैं। जिरह प्रतिवादीगण एक पक्षीय रही। पुनः परीक्षण शून्य रहा।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वादग्रस्थ कृषि भूमि शिवनाथ की खातेदारी की दर्जसुदा थी, जिनके स्वर्गवास के पश्चात् बिछुड़ी पत्नि शिवनाथ, भुण्डाराम पुत्र शिवनाथ तथा भंवरलाल पुत्र किशनाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। जिसमें बिछुड़ी व भुण्डाराम का कुल 2/3 हक हिस्सा निहित था, उसके पश्चात् दिनांक 16.06.1997 को वादी द्वारा बिछुड़ी व भुण्डाराम के 2/3 हक हिस्से की भूमि का जरिये बेचान

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

क्रय की गई तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश वादी भोपालराम का 1/2 हक हिस्सा तथा भंवरलाल का 1/2 हक हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी आदिनांक भी वादस्थ भूमि के 2/3 हक हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रति सं0 02 भंवरलाल ने अपने हक हिस्से अधिक भूमि का बेचान प्रतिवादी सं0 01 को कर दिया तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दिया। प्रति0 सं0 01 ने वादी के अनपढ व राजस्व रेकर्ड की कम जानकारी होने का फायदा उठाते हुए प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 में आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवा दिया। उक्त अवैध इन्द्राज के आधार पर प्रति सं0 1 वादी के कब्जे काश्त में दखलांदाजी करता हैं। इसलिए यह राजस्व वाद पेश कर माफिक बेचान रजिस्ट्री दिनांक 16.06.1997 खसरा नंबर 1196/348 में वादी भोपालराम का 2/3 हिस्सा रकबा 1.4933 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1197/348 में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र का 1/3 हिस्सा रकबा 0.7467 हैक्टर का शुद्धि करने की घोषणा की जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, गवाह बयानात, प्रदर्शित दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रदर्श–1 में ए से बी से स्पष्ट है कि ख0नं0 348 रकबा 2.2400 है0 शिवनाथ पुत्र लच्छा की खातेदारी का दर्जसुदा था, प्रदर्श–2 में शिवनाथ के फौतेदगी नामा0 सं0 333 दर्ज किया गया, जिसमें अन्तिम कॉलम दर्शायी वंशावली अनुसार वारिशान का नाम दर्ज किया गया। जिससे स्पष्ट है कि भुण्डाराम, बिछुड़ी तथा भंवरलाल का 1/3–1/3–1/3 हक हिस्सा बनता हैं। प्रदर्श–3ए बेचान दस्तावेज से स्पष्ट है कि भुण्डाराम व बिछुड़ी ने वादग्रस्थ कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 2/3 का बेचान वादी भोपालराम को कर दिया था। उसके उपरांत प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 जमाबंदी में वादी तथा प्रति सं0 2 का नाम सामलाती दर्जसुदा रहा। प्रदर्श–6 प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प में वादी तथा प्रति सं0 1 का 1/2–1/2 हक हिस्सा मानते हुए विभाजन कर वादी के नाम ख0नं0 1196/348 रकबा 1.1200 है0 तथा प्रति सं0 01 के नाम ख0नं0 1197 रकबा 1.1200 है0 दर्ज किया गया, जो गलत दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि माफिक बेचान रजिस्ट्री दिनांक 16.06.1997 वादी द्वारा वादग्रस्थ कृषि भूमि ख0नं0 348 रकबा 2.2400 है0 का 2/3 हिस्सा अर्थात् 1.4933 है0 क्रय किया था, लेकिन वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम अपेक्षाकृत कम रकबा 1.1200 है0 दर्ज है, जबकि प्रति0 सं0 01 के नाम वादग्रस्थ कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा अर्थात् 0.7467 है0 दर्ज होना था, जबकि वर्तमान में अपेक्षाकृत अधिक रकबा 1.1200 है0 दर्ज हैं। लिहाजा अधिवक्ता मय वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्थ कृषि भूमि के मूल ख0नं0 348 से बने खसरा नं0 1196/348 में वादी भोपालराम को 1.4933 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व ख0नं0 1197/348 में प्रति0 सं0 01 के नाम 0.7467 है0 रकबा दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम झूपेलाव तहसील सोजत में वादग्रस्थ कृषि भूमि के मूल ख0नं0 348 से बने खसरा नं0 1196/348 में वादी भोपालराम को रकबा 1.1200 है0 के स्थान पर रकबा 1.4933 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0नं0 1197/348 में प्रति0 सं0 01 के नाम दर्ज

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

रकबा 1.1200 है0 के स्थान पर रकबा 0.7467 है0 रकबा दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 03/12/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी • जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत